न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 6/विशेष न्यायाधीश,भ्रष्टाचार निवारण (वी.बी.यू.पी.एस.ई.बी.), लखनऊ।

CNR No. UPLK01-008853-2022

जमानत प्रार्थनापत्र सं0–5114/2022

अमरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 इकबाल सिंह, निवासी ग्राम शाहपुर, थाना काकोरी, जिला लखनऊ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 सरकार .....अभियोगी।

अपराध संख्या–536/2021
धारा–147,148,149,323,307,504, 427,506 भा0दं0सं0
थाना–काकोरी, जिला–लखनऊ।

दिनांक–21.06.2022

अभियुक्त अमरेन्द्र सिंह की ओर से अपराध संख्या–536/2021, धारा–147,148,149,323,307,504,427,506 भा0दं0सं0,थाना–काकोरी, जिला–लखनऊ के मामले में प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त उपरोक्त प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है दिनॉक 05.10.2021 को शाम लगभग 5.30 बजे प्रार्थिनी प्रमिला सिंह का लड़का अंकित यू0ओ0बी के लिये जा रहा था कि विपक्षी अमरेन्द्र, शैलेन्द्र, भूपेन्द्र सिंह, कमलेन्द्र सिंह पुत्रगण इकबाल सिंह ने अपने घर के सामने प्रार्थिनी के बेटे अंकित को बेवजह गन्दी–गन्दी गाली दी और मारापीटा व प्रार्थिनी के बेटे की बाइक व मोबाइल को तोड़ दिया और बीच बचाव करने पर उसे व उसके छोटे पुत्र मोहित सिंह को भी मारा पीटा। इससे उन लोगों को काफी चोटें आयी। इतने में अनुराग उर्फ जूली सिंह पुत्र अमरेन्द्र सिंह ने जान से मारने क नियत से अवैध असलहा से फायरिंग करते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये गये। अतः उचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष है उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। वादिनी द्वारा जो घटना बताई गई है उसमें अभियुक्त का कोई सरोकार नहीं है। अभियुक्त को परेशान करने की नीयत व गॉव की पार्टी बंदी की वजह से व मात्र पारिवारिक होने के कारण अभियुक्त का नाम उपरोक्त मुकदमें में लिखा दिया गया है। अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमें में झूठा एवं रंजिशन फॅसाया गया है। अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है। अभियुक्त ने कोई भी मारपीट, गाली–गलौज व जान से मारने की कोई धमकी नहीं दिया है। अभियुक्त बताई गयी घटना के समय गॉव में ही नहीं था। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी विश्वसनीय जमानतें देने को तैयार है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया और प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले में घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं हैं। चुटहैलों को जाहिरा चोट नहीं आयी है। मामले में अन्य दो सह अभियुक्तगण की जमानत स्वीकार की जा चुकी

है। मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त अमरेन्द्र सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0 536/2021, अन्तर्गत धारा 147,148,149,323,307,504,427,506 भा0दं0सं0, थाना काकोरी, लखनऊ के प्रकरण में स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा **पचास हजार रूपये** का निजी बंधपत्र एवं उसी धनराशि की **दो** जमानतें न्यायालय की संतुष्टि के अधीन दाखिल करने पर उसे निम्नलिखित शर्तो के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है।

1. अभियुक्त दौरान विवेचना विवेचक को सहयोग करेगा तथा गवाहों को किसी प्रकार से डरायेगा व धमकायेगा नही।
2. दौरान विचारण अभियुक्त साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर जबकि साक्षी न्यायालय में उपस्थित हो, कोई स्थगन नही लेगा। यदि उसके द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसका जमानत आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।
3. अभियुक्त न्यायालय के समक्ष वाद के आरम्भ में, आरोप विरचित किये जाने तथा कथन अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 दर्ज किये जाने हेतु नियत तिथि पर अवश्य उपस्थित रहेगा।
4. अभियुक्त अपना मूल एवं वर्तमान पता एवं चालू मोबाइल नम्बर विवेचक/न्यायालय को उपलब्ध करायेगा। यदि अभियुक्त द्वारा दौरान विवेचना/विचारण अपना मूल एवं वर्तमान पता एवं चालू मोबाइल नम्बर परिवर्तित किया जाता है तो उसका विवरण विवेचक/न्यायालय को उपलब्ध करायेगा।

(मयंक त्रिपाठी)
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–06/
विशेष न्यायाधीश,भ्रष्टाचार निवारण
(वी.बी.यू.पी.एस.ई.बी.),लखनऊ।